संलग्नक–बी

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

विपणन प्रभाग

भूमि की अधिप्राप्ति के लिए विज्ञापन

उत्तर प्रदेश राज्य कार्यालय–।।

यह विज्ञापन केवल भूमि के लिए है और डीलरशिप के लिए नहीं है

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल पम्प)के लिए भूमि की आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश एवं उताराखण्ड राज्यों में निम्नलिखित स्थानों पर रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एकमुश्त बिक्री/पट्टे (न्यूनतम 19 वर्ष 11 माह नवीनीकरण विकल्प के साथ) पर भूखण्ड के हस्तांतरण के लिए इस विज्ञापन के जारी होने की तिथि से पूर्व वैध एवं स्पष्ट विपणन योग्य भूमि का स्वामित्व रखने वाली इच्छुक पार्टियों से दो निविदा प्रणाली अर्थात् (क) तकनीकी निविदा (ख) वित्तीय निविदा में मुहरबंद प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

क्र. सं.	स्थान	जिला	साइट का न्यूनतम आकार मीटर में (फ्रंटेज x गहराई)
उत्तर प्रदेश राज्य में			
1	सुनवारा बाईपास (एनएच–92) पर यमुना पुल से मानिकपुर मोड़ के बीच	इटावा	45x45
2	छटिकरा वृन्दावन रोड पर छटिकरा और प्रेम मंदिर के बीच दोनों ओर	मथुरा	30x30
3	एनएच–11 पर किरावली और शाहपुर चौमा के बीच दोनों ओर	आगरा	45x45
4	एनएच–93 पर रामबाग क्रॉसिंग से सेंट एंड्रूज स्कूल के बीच	आगरा	35x45
5	खेरागढ़ टाउन	आगरा	35x35
6	किमी. स्टोन 251 से 255 के बीच दिल्ली–कानपुर रोड, एनएच–2 पर	फिरोजाबाद	50x50
7	आगरा शहर में नगर निगम सीमा के भीतर	आगरा	30x30
8	फनसिटी एवं खंडेलवाल कॉलेज के बीच (एनएच–74), बरेली	बरेली	35x45
9	रामपुर नगर निगम सीमा के भीतर गांधी समाधि से अम्बेडकर पार्क रोड तक बाईं ओर	रामपुर	30x30
10	किमी. स्टोन 57 एवं 60 के बीच एसएच–101 (निघासन से पलिया रोड)	लखीमपुर खीरी	35x35
11	एसएच–25 पर किमी स्टोन 88 एवं 90 के बीच (शाहजहांपुर–पोवायां रोड)	शाहजहांपुर	35x35
12	अलीगढ़ शहर में नगर निगम सीमा के भीतर	अलीगढ	3 0x30
13	मुरादाबाद शहर में नगर निगम सीमा के भीतर	मुरादाबाद	30x30
14	ताहरपुर से सिरसी तक दोनों ओर	मुरादाबाद	35x35
15	मोहन नगर सिग्नल से ज्ञानी बार्डर तक	गाजियाबाद	35x35
16	इंदिरापुरम में सीआईएसएफ कम्पाउंड से हिंडन कैनाल तक मोहन नगर लिंक रोड पर	गाजियाबाद	30x30
17	मोहन नगर सिग्नल से हिण्डन चौक रोड पर – मोहन नगर सिग्नल से हिण्डन चौक जाते हुए बायीं ओर	गाजियाबाद	30x20
18	विकास प्राधिकरणों द्वारा रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए चिन्हित प्लॉट	गौतम बुद्ध नगर	30x25
19	मेन या सर्विस रोड, सैक्टर–133, नोएडा में जेपी विशटाउन क्लासिक टॉवर अपार्टमेंट्स से 1 किमी के भीतर	गौतम बुद्ध नगर	30x25
20	मेन या सर्विस रोड, सैक्टर–133, नोएडा में जेपी विशटाउन केन्सिगंटन टॉवर अपार्टमेंट्स से 1 किमी के भीतर	गौतम बुद्ध नगर	30x25
उत्तराखण्ड राज्य में			
21	नवीन मंडी हल्द्वानी से काठगोदाम रेल्वे स्टेशन के बीच नैनीताल रोड हल्द्वानी में नगर निगम सीमा के भीतर	नैनीताल	35x35
22	किच्छा बाईपास रोड पर आदित्य चौक से पुलभट्टा चौक के बीच	उधम सिंह नगर	35x45
23	रूद्रपुर शहर में नगर निगम सीमा के भीतर	उधम सिंह नगर	30x30
24	देहरादून शहर में नगर निगम सीमा के भीतर	देहरादून	20x20
25	चण्डी चौक हरिद्वार से रायवाला की ओर एनएच–58 पर	हरिद्वार	35x45
26	आईएसबीटी–देहरादून से मोथरोवाला चौक की ओर हरिद्वार बाईपास रोड पर बाईं ओर	देहरादून	20x20
27	रिसपाना पुल से मोहकमपुर रेलवे क्रॉसिंग की ओर देहरादून, एनएच–72 पर	देहरादून	35x45

निम्नलिखित को कृपया नोट करें:

• राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदत्त भूमि टोल ब्रिज/एनएच–एसएच–एमडीआर क्रॉसिंग से 1 कि.मी. के दायरे में नहीं होनी चाहिए तथा वह अधिमानतः उसी ओर नजदीकी मौजूदा रिटेल आउटलेट से न्यूनतम 1 कि.मी. की दूरी पर होना चाहिए।

• शहर सीमाओं के भीतर, छोटी विमाओं वाले भू–खण्डों पर भी विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि वे रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए उपयुक्त हो।

• भूमि के भू–खण्ड का अग्रभाग भूमि के भू–खण्ड हेतु उपयुक्त पहुंच मार्ग के साथ, राजमार्ग/मुख्य सड़क से जुड़ा होना चाहिए।

• निविदादाता सभी वैधानिक स्पष्टताओं, जैसे शहरी भूमि उच्चतम सीमा, गैर–कृषि संरक्षण, आयकर अदायगी, गैर–रुकावट प्रमाण पत्र आदि की व्यवस्था करेगा।

• निविदादाता सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूमि होने की स्थिति में, प्रदत्त भूमि भा.रा.रा.प्रा. की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

• भूमि अधिमानतः सड़क के समान स्तर पर होनी चाहिए जो भूखण्ड के रुप में होनी चाहीए।

• भू–खण्ड ओवरहेड हाई टेशन पावर लाइन, उत्पाद/जल पाइपलाइन/नहरों/नाली/नालों/आम सड़क/रेलवे लाइन आदि से मुक्त होना चाहिए।

• भू–खण्ड सभी बाधाओं/अतिक्रमणों/धार्मिक ढांचों आदि से मुक्त होना चाहिए। इस प्रभाव हेतु विधिवत नोटरीकृत अति–आवश्यक दस्तावेज प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे।

• यदि अपेक्षित भूमि का संपूर्ण हिस्सा एक भूस्वामी का नहीं है तो भूस्वामियों का समूह जो एक–दूसरे के निकटस्थ भू–खण्ड रखते हैं तथा हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, एक पंजीकृत पॉवर ऑफ अटोर्नी धारक के माध्यम से उद्धृत हो सकता है। हालाकि, इंडियनऑयल सिर्फ पॉवर ऑफ अटोर्नी धारक के साथ ही लेन–देन करेगा। प्रत्येक भूस्वामी से विधिवत पृष्ठांकित अपेक्षित पॉवर आफ अटोर्नी की प्रतिलिपि प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

• वे जो कृषि भूमि प्रदान कर रहे हैं, अपने निजी व्ययों एवं लागत पर रिटेल आउटलेट के इस्तेमाल/ढ़ाचागत सुविधाओं तथा अन्य सम्बद्ध उद्देश्य के लिए इसे गैर–कृषि भूमि में, इससे अधिक विशेष रूप से वाणिज्यिक रूपांतरण करायेंगे।

• जिला प्राधिकारी एवं अन्य सरकारी निकाय भी इस विज्ञापन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकारी भूमि को वरीयता दी जायेगी, यदि यह उपयुक्त पाई जाती है।

• इंडियनऑयल के अनुमान के अनुसार, निम्नलिखित अतिरिक्त लागत पर निविदाओं (i) भूमि भराव/समेकन/कटाव के खर्च के साथ, रिटेनिंग वाल/ह्यूम पाइपों आदि की लागत तथा प्रदत्त स्थल को सड़क स्तर तक लाने हेतु प्रवेश/निकास के विकास के लिए लागत (ii) अन्य भौतिक मापदण्डों जैसे टेलीफोन/विद्युत लाइनों की शिफ्टिंग/बिछाने की लागत के व्यापारिक मूल्यांकन हेतु भी विचार किया जायेगा।

• दलालों/प्रोपर्टी डीलरों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

• इंडियनऑयल डाक/फैक्स द्वारा प्रेषित दस्तावेजों के विलंब होने, खोने या अप्राप्ति के लिए उत्तरदायी होगा। प्राप्त हुये कोटेशन सिर्फ प्रस्ताव हैं तथा यह किसी भी तरह से इंडियनऑयल को बाध्य नहीं करते हैं।

• इंडियनऑयल बिना कोई कारण बताये किसी या सभी प्रस्तावों को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रखता है।

प्रस्ताव निम्नानुसार दो निविदा प्रणाली में सौंपे जाने हैं:

(क) तकनीकी निविदाः प्रदत्त भूमि के भू–खण्ड का ब्योरा, विधिवत हस्ताक्षरित दस्तावेजों की प्रतिलिपियों के साथ नीचे दिये गये विवरण के साथ सौंपे जाने हैं:–

1) भू–स्वामी का नाम

2) भू–खण्ड की संपत्ति स्थिति के विवरण को दर्शाते हुए मुख्य योजना

3) भू–खण्ड की विमाओं के साथ बिक्री/पट्टे हेतु प्रदत्त क्षेत्रफल

4) भूमि के स्वामित्व को दर्शाते हुए '7/12' उद्धरण या इसके समकक्ष अर्थात् खतोनी, जमाबंदी, खसरा, गिरदावारी आदि तथा मालिकाना हक डीड अर्थात् बिक्री डीड आदि विधिवत् रूप से संलग्न करें/सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित हो।

5) पॉवर आफ अटोर्नी धारक, पंजीकृत पॉवर ऑफ अटोर्नी की प्रतिलिपि जमा करें।

उक्त वर्णित दस्तावेजों/ब्योरों के बिना प्राप्त हुए प्रस्ताव रद्द कर दिये जाएंगे।

नोटः तकनीकी निविदा एक पृथक लिफाफे में रखी होनी चाहिए तथा इसके ऊपर 'तकनीकी निविदा' अंकित होना चाहिए।

(ख) वित्तीय निविदाः वित्तीय निविदा में निम्नलिखित तथ्य शामिल होने चाहिए:

1) प्रस्ताव बिक्री हेतु या पट्टे हेतु अथवा बिक्री या पट्टे के लिए है।

2) बिक्री की स्थिति में, अपेक्षित बिक्री मुआवजा रुपये में।

3) पट्टे की स्थिति में, अपेक्षित पट्टा किराया प्रतिमाह रुपये में तथा पट्टा अवधि।

नोटः वित्तीय निविदा एक पृथक लिफाफे में रखी होनी चाहिए तथा इसके ऊपर 'वित्तीय निविदा' अंकित होना चाहिए।

दोनों तकनीकी एवं वित्तीय निविदा सन्निहित लिफाफे पृथक रूप से मुहरबंद किये जाने चाहिए तथा इन्हें एक तीसरे लिफाफे में रखकर इसके ऊपर **''लोकेशन.. पर रिटेल आउटलेट हेतु भूमि के लिए प्रस्ताव''** शीर्षांकित किया जाना चाहिए।

इच्छुक पार्टियां नीचे वर्णित अंतिम तिथि एवं समय तक निम्नलिखित पते पर आवेदन कर सकते हैं :

पता	वर्णित स्थानों के लिए
उप महाप्रबंधक (रिटेल सेल्स), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी), आगरा मंडल कार्यालय, इंडियनऑयल भवन, 65/2, संजय प्लेस, आगरा (उ.प्र.), पिन–282002	क्र.सं. 1 से 7 तक – उत्तर प्रदेश राज्य के
मुख्य डिविजनल रिटेल सेल्स प्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी), बरेली मंडल कार्यालय, इंडियनऑयल भवन, 35–ए सिविल लाइन्स, कमला नेहरू मार्ग, बरेली (उ.प्र.) पिन–243001	क्र.सं. 8 से 11 तक – उत्तर प्रदेश राज्य के
मुख्य डिविजनल रिटेल सेल्स प्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी), मुरादाबाद मंडल कार्यालय, ख्वाजा फिलिंग स्टेशन (इंडियनऑयल पेट्रोल पम्प) के पीछे, पाकबाड़ा, एनएच–24, मुरादाबाद (उ.प्र.) पिन–244102	क्र.सं. 12 से 14 तक – उत्तर प्रदेश राज्य के लिए
मुख्य डिविजनल रिटेल सेल्स प्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी), नोएडा मंडल कार्यालय, ओआईडीबी भवन, सी–ब्लॉक, प्रथम तल, सैक्टर–73, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.) पिन–201301	क्र.सं. 15 से 20 तक – उत्तर प्रदेश राज्य के
मुख्य डिविजनल रिटेल सेल्स प्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी), देहरादून मंडल कार्यालय, 25, निम्बुवाला, गढ़ी कैंट, देहरादून (उत्तराखण्ड), पिन–248003	क्र.सं. 21 से 27 तक – उत्तराखण्ड राज्य के लिए

निविदा जमा करने की **अंतिम तिथि 18.05.2018 को 17.00 बजे तक** है। अंतिम तिथि और समय के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। जमा किए गए प्रस्ताव देय तिथि से 150 दिनों की अवधि अथवा आपसी सहमति से बढ़ाई गई अवधि के लिए मान्य होंगे।